159

म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर

न्यायालय श्रीमान् [illegible]

R – 987-PBR/13

रामचन्द्र पिता मोतीलालजी पाटीदार

निवासी लालाखेड़ा तहसील जावरा :---- निगरानीकर्ता

विरुद्ध

शासन द्वारा तहसील जावरा :---- प्रत्यर्थी /प्रoप्रo

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

आर.सी. जैन
4-2-2013
4.2.13
वाचक
युक्त कार्यालय
उज्जैन संभाग

283
4/2/2013

निगरानी न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय जिला रतलाम के निगरानी प्रकरण 14/निगरानी/11-12 मे पारित आदेश दिनांक 26-11-12 से असंतुष्ट होकर ।

==========

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत है :-

1--- यह कि, अधिनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 26-11-12 विधि एवं विधान के विपरित होने से निरस्ती योग्य है ।

28-2-13

2-- यह कि, अधिनस्थ न्यायालय ने इस बिंदू पर विचार किये बिना ही सीमाकंन की कार्यवाही तिमेड़ा-चौमेडा पाईन्ट नियत कर फिल्ड बुक सहित सीमाकंन कर राजस्व निरीक्षक से रिपोर्ट तलब करना थी और इस बिंदू पर अधिनस्थ न्यायालय ने विचार किये बिना ही आलोच्य आदेश पारित करने मे गंभीर भूल की है ।

5/3/13

3-- यह कि, दिनांक 20-6-12 को अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व निरीक्षक से सीमाकंन कराया था व निगरानीकर्ता की उपस्थिति मे पंचनामा नहीं बनाया गया उसके पीठ पीछे बनाया गया जबकि सीमाकन भी प्रार्थी को जानकारी के बिना उसकी निजी भुमि पर गलत तरीके से स्थानीय सरपंच के प्रभाव मे आकर किया गया है इससे प्रार्थी संतुष्ट नहीं था परंतु अधिनस्थ न्यायालय ने इस बिंदू पर विचार किये बिना ही गंभीर वैधानिक भूल की है ।

रामचन्द्र

4-- यह कि, अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष निगरानीकर्ता ने झारवेल राजस्व निरीक्षक के विरुद्ध फौoप्रकरण न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय प्र.श्रे. जावरा के न्यायाल

निरंतर--2

3

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-987-पीबीआर/13 **जिला** रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	